प्रेस नोट दिनांक 15.08.2026 जनपद प्रतापगढ

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को चोरी की सम्पत्ति सहित किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त सुरेश मिश्रा व मिथुन विश्वकर्मा गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद स्टेबलाइजर, 01 अदद पानी का टुल्लू एवं 01 अदद प्रिन्टर मशीन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.08.2026 एवं 14.08.2026 की मध्यरात्रि ग्राम सराय सेतराय स्थित स्वामी विवेकानन्द शिक्षण विद्यालय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 401/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं चोरी गए सामान की बरामदगी हेतु थाना रानीगंज पुलिस द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाओं के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कमार के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव व का0 मनोज यादव द्वारा उक्त प्रभावी कार्यवाही की गई। इसी क्रम में दिनांक 15.08.2026 को थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 401/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस से संबंधित धोबियाना तालाब हुसैनपुर के पास स्थित पहलवान वीर बाबा मंदिर के पास से 02 अभियुक्त 1-सुरेश मिश्रा पुत्र शारदा प्रसाद मिश्रा, निवासी राजापुर देवा पट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 37 वर्ष एवं 2-मिथुन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 देवी प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी ग्राम दुर्गागंज जयरामपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुरेश मिश्रा के कब्जे से 01 अदद पानी का टुल्लू व 01 अदद प्रिन्टर मशीन तथा अभियुक्त मिथुन विश्वकर्मा के कब्जे से 01 अदद स्टेबलाइजर बरामद हुआ।

पूछताछ/बरामदगी-
बरामद सामान के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 13/14.08.2026 की रात्रि में सराय सेतराय स्थित स्वामी विवेकानन्द विद्यालय से उक्त सामान चोरी करना स्वीकार किया गया। चोरी की सम्पत्ति बरामद होने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-सुरेश मिश्रा पुत्र शारदा प्रसाद मिश्रा, उम्र करीब 37 वर्ष, निवासी राजापुर देवा पट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2-मिथुन विश्वकर्मा पुत्र स्व0 देवी प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम दुर्गागंज जयरामपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद स्टेबलाइजर।
01 अदद पानी का टुल्लू।
01 अदद प्रिन्टर मशीन।

पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह हे0का0 अमरनाथ यादव व का0 मनोज यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा हत्या (पुरानी रंजिश के चलते) के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा हत्या (पुरानी रंजिश के चलते) के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना क्षेत्रान्तर्गत गहरी मोड़ तिराहे के पास से हुई गिरफ्तारी; प्रकरण में पूर्व में 01 अभियुक्त को आलाकत्ल डण्डे के साथ भेजा जा चुका है जेल।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 13.08.2026 को सायं करीब 19:00–19:15 बजे थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत गजाधर इण्टर कॉलेज, लक्ष्मणपुर के पास पूर्व रंजिश को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा वादी के लडके के साथ सरिया, लाठी-डण्डे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वादी की तहरीर के अनुसार उक्त घटना में नामजद एवं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत घटना कारित की गई । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर में मु0अ0सं0 279/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61 (2)(a)/351(3)/125 बी0एन0एस0 बनाम 06 नामजद व 06 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह मय हमराह निरीक्षक गिरजाशंकर, उ0नि0 दीपक कुमार यादव, का0 हरेन्द्र सिंह, रि0का0 आलोक यादव व रि0का0 पुर्णेन्द्र प्रताप यादव, रि0म0का0 माया कुमारी मय चालक हे0का अजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/351(3)/125 बी0एन0एस0, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. सौरभ पुत्र संजय तिवारी उर्फ बडे तिवारी नि0 ग्राम डाडी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 2. संजय कुमार उर्फ मिंटू उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय नि० ग्राम लक्षी का पुरवा डाडी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत गहरी मोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 13.08.2026 को गजाधर इण्टर कालेज लक्ष्मणपुर के पास वादी के लड़के सौरभ विश्वकर्मा को पुरानी रंजीश को लेकर मैं और सौरभ

तिवारी पुत्र संजय तिवारी उर्फ बडे तिवारी नि0 ग्राम डाडी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ एवं अन्य साथियो ने मिल कर मार पीट दिये थे तथा बाद में जानकारी हुई की सौरभ विश्वकर्मा की मृत्यु हो गयी, तथा पुलिस हम लोगो को खोज रही थी और हम लोग बस पकड कर कही दूर भागने वाले थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

दिनांक 14.08.2026 को उक्त अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त दरोगा तिवारी उर्फ विपिन तिवारी पुत्र स्व0 अवधेश तिवारी उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम डांडी, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को आलाकत्ल 01 अदद डण्डा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. सौरभ पुत्र संजय तिवारी उर्फ बडे तिवारी नि0 ग्राम डाडी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।
2. संजय कुमार उर्फ मिंटू उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय नि० ग्राम लक्षी का पुरवा डाडी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह मय हमराह निरीक्षक गिरजाशंकर, उ0नि0 दीपक कुमार यादव, का0 हरेन्द्र सिंह, रि0का0 आलोक यादव व रि0का0 पुर्णेन्द्र प्रताप यादव, रि0म0का0 माया कुमारी मय चालक हे0का अजय यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ

थाना देल्हूपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा चोरी का ट्रक बरामद, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.08.2026 को स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत सक्रिय अपराधियों एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना देल्हूपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा रंगोली कनेस्ता चौकी के सामने बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्रतापगढ़ की ओर से एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिस पर संदिग्ध नंबर प्लेट BR03GA7519 लगी थी। पुलिस टीम द्वारा ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक ने वाहन लेकर भागने का प्रयास किया, जिसे बैरियर लगाकर घेरकर रोक लिया गया।

ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम हसरत खान पुत्र हजरत खान, निवासी ग्राम सराय मकई, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष बताया। ट्रक की नंबर प्लेट एवं चेचिस नंबर की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि वाहन का वास्तविक पंजीकरण नंबर MH03BD1692 है, जबकि उस पर फर्जी नंबर प्लेट BR03GA7519 लगाई गई थी।

वाहन स्वामी से संपर्क करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त ट्रक दिनांक 09.07.2026 को महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र से चोरी हो गया था, जिसके संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उक्त ट्रक को उसने अपने साथी मो0 हसीब उर्फ पापा पुत्र मो0 वाहिद, निवासी सराय मकई, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ के साथ महाराष्ट्र/मुंबई से चोरी

कर लाया था। पुलिस से बचने के उद्देश्य से ट्रक की नंबर प्लेट पर स्टीकर लगाकर फर्जी नंबर BR03GA7519 अंकित कर दिया गया था। अभियुक्त के अनुसार उसका साथी मो0 हसीब उर्फ पापा पुनः मुंबई चला गया है।

बरामदगी:
अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी का ट्रक, वास्तविक पंजीकरण संख्या MH03BD1692, बरामद किया गया, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट BR03GA7519 लगाकर वाहन चलाया जा रहा था।

अभियोग पंजीकरण:
गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 130/2026, धारा 317(2)/318(4)/336(2)/336(3)/340(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है तथा फरार/प्रकाश में आए अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:
1. मु0अ0सं0 91/2021, धारा 392/411/120बी आईपीसी, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 92/2021, धारा 392/411/120बी आईपीसी, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0 100/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0 347/2021, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:
उ0नि0 वरुण कुमार सिंह, थाना देल्हूपुर, मय हमराह उ0नि0 शिवा प्रजापति, हे0का0 इसार अहमद, का0 उपेन्द्र कुमार, रि0आ0 रोहित राव कालेलकर तथा स्वाट टीम प्रभारी श्री राकेश कुमार चौरसिया मय स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से उक्त कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही के दौरान नियमानुसार विधिक प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में

थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह रि0का0 सुयश राय व रि०का0 आशुतोष सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, क्रिमिनल केस 1658/2021, मु0अ0सं0 122/1997 धारा 32/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त, 1.प्रेम नाथ पुत्र राजाराम पाण्डेय निवासी नौढिया थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- प्रेम नाथ पुत्र राजाराम पाण्डेय निवासी नौढिया थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीमों का विवरण- उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह रि0का0 सुयश राय व रि०का0 आशुतोष सिंह थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

<u>**थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़**</u>

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में

थाना रानीगंज के उ0नि0 अवधेश यादव मय हमराह कां0 राजू गोंड व कां० दशरथ पटेल द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 1700152/2004 अ0सं0 174/2002 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानीगंज से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त, 1.हरिकेश सरोज पुत्र बृजलाल सरोज निवासी ग्राम बोर्डा (सुल्तानपुर),थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. हरिकेश सरोज पुत्र बृजलाल सरोज निवासी ग्राम बोर्डा (सुल्तानपुर),थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीमों का विवरण-
उ0नि0 अवधेश यादव मय हमराह कां0 राजू गोंड व कां० दशरथ पटेल थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।